

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-728/2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सामुएल तिडू.....आवेदक/विक्रेता

मुनूरेन कोंगाड़ी.....क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

} प्रथम पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
02.03.2024	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक श्री सामुएल तिडू पिता बरनावस तिडू ग्राम-पाण्डू, पो0-विचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:-</p> <p style="text-align: center;">भूमि का विवरण</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं0</th><th>खाता नं0</th><th>खेसरा सं0</th><th>रकबा(एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>पाण्डू</td><td>248</td><td>17</td><td>1805</td><td>0.12</td></tr></tbody></table> <p>आवेदक के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक श्री सामुएल तिडू पिता बरनावस तिडू ग्राम-पाण्डू, पो0-विचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी को मकान निर्माण कराने हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता सुश्री मुनूरेन कोंगाड़ी पिता जीवन मसीह कोंगाड़ी ग्राम-जिलिंगकेल, पो0-सायको, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते हैं।</p> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु विक्री करना चाहते हैं। साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान तथा लगान की रसीद सं0 0326615696 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई।</p> <p>उपरोक्त अनुमति वाद के आलोक में आम नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की विक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 107 दिनांक 26.02.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से</p>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)	पाण्डू	248	17	1805	0.12	
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)								
पाण्डू	248	17	1805	0.12								


यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक के पूर्वजों की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम एतवा पाहन वगैरह है। आवेदक पंजी II रैयतों में से एक के परपोता हैं। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं० 1 के पृष्ठ सं० 17 पर जमाबंदी दर्ज है।


अंचल अधिकारी, मुरहू के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 1898 दिनांक 14.08.2023 के साथ अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०— JHCST/2023/192579 दिनांक 16.06.2023 को आवासीय प्रमाण पत्र सं०— JHLRCO/2023/389243 दिनांक 14.06.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 107 दिनांक 26.02.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक श्री सामुएल तिडू पिता बरनाबस तिडू ग्राम—पाण्डू पो०—बिचना, थाना—मुरहू जिला—खूँटी को क्रेता सुश्री मुनूरेन कोंगाड़ी पिता जीवन मसीह कोंगाड़ी ग्राम—जिलिंगकेल, पो०—सायको, थाना—मुरहू, जिला—खूँटी के साथ ग्राम पाण्डू के खाता सं० 17, खेसरा संख्या 1805 रकबा 0.12 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।